I/85741/2024

सत्यमेव जयते

कार्यालय / Office
कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt.of Personnel, Raipur Division
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway
दू.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

File No: SECR-R0PERS(PnM)/161/2022-O/o SR.DPO/R/SECR Date: 25.06.2024

NOTIFICATION No. 59/2024

Sub: रायपुर मंडल/द.पू.म.रे के विद्युत/कर्षण वितरण विभाग में 25% आई.एम.ए. कोटे के विरूद्ध पे मैट्रिक्स स्तर-6 में कनिष्ठ अभियंता(विद्यूत/कर्षण वितरण) के पदो को भरने के हेतु पैनल का गठन के संबंध में। Formation of panel for filling up the post of Junior Engineer(Electrical/TRD) in Pay Matrix Level- 6 against 25% IMA quota in Electrical/TRD Department of Raipur Division/SECR.

रायपुर मंडल के विद्युत/कर्षण वितरण विभाग के 25% आईएमए कोटे के विरूद्ध पे मैट्रिक्स स्तर-6 में कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत/कर्षण वितरण) के 02(दो) पद को भरने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं –

It is proposed to form a panel to fill up 02 (Two) posts of Junior Engineer in Pay matrix level -6 against 25% IMA quota of Electrical/TRD Department of Raipur Division (By Calling options). The details are as under:

कोटी / Category	अना./ UR	अ.जा./SC	अ.ज.जा./ST	कुल / Total
कनि.अभियंता/ विद्युत /कर्षण वितरण / JE(Electrical/TRD) (25% IMAQ)	01	00	01	02

1. कर्मचारियों की पात्रता एवं सेवा शर्तें। ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

a. संबंधित ट्रेड में आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिसशिप पास या साइंस स्ट्रीम में 10+2 की योग्यता रखने वाले सभी सेवारत कर्मचारी कुशल ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ यानी विद्यूत/कर्षण वितरण विभाग के तकनीशियन ग्रेड-III रायपुर मंडल आवेदन कर सकेगें|
All serving employees having the qualification of ITI/Act Apprenticeship pass in the relevant trade or 10+2 in science stream with three years of service in skilled grades i.e. Technician Gr.-III of Electrical/TRD Department Raipur Division and shall apply.

b. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)I/99/पीएम7/17 दिनांक 25-08-2003 (पीसीपीओ/बीएसपी की स्थापना नियम संख्या 07/2003) के अनुसार, आईटीआई/अधिनियम शिक्षुता की योग्यता प्रासंगिक ट्रेडों में होनी चाहिए। उस श्रेणी में अंतिम अवशोषण के लिए जिसके लिए चयन किया जाता है| कनिष्ठ अभियंता(विद्यूत/कर्षण वितरण) हेतु A-3 मेडिकल श्रेणी आवश्यक है|
In terms of Railway Board's Letter No. E(NG)I/99/PM7/17 dated 25-08-2003 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 07/2003), the qualification of ITI/Act Apprenticeship should be in trades relevant for eventual absorption in the category for which the selection is conducted i.e. trades relevant to the post of Junior Engineer Electrical/TRD Department. A-3 medical is category required for the post of JE(Electrical/TRD).

c. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एनजी)I/99/पीएम7/17 दिनांक 28-07-2003 (पीसीपीओ/बीएसपी की स्थापना नियम संख्या 18/2003) के संदर्भ में, यदि कर्मचारी अन्यथा पात्र है और डिग्री की योग्यता रखता है या इंजीनियरिंग की प्रासंगिक शाखा में डिप्लोमा भी आईटीआई / एक्ट अपरेंटिसशिप या 10+2 (विज्ञान स्ट्रीम) की योग्यता के साथ इंटरमीडिएट अपरेंटिस के रूप में शामिल होने के लिए चयन में उपस्थित होने के लिए पात्र है|
In terms of Railway Board's Letter No. E(NG)I/99/PM7/17 dated 28-07-2003 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 18/2003), if the employee otherwise eligible and possessing the qualification of Degree or Diploma in the relevant branch of Engineering are also be eligible to volunteer to appear in the selection for induction as Intermediate Apprentices along with those with the qualification of ITI/Act Apprenticeship or 10+2 (Science Stream).

Continue page-2

d. अधिसूचना की तिथि के अनुसार, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी) के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के मामले में आवेदित कर्मचारियों की आयु 47 वर्ष से कम होनी चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष होगी। E(NG)1999/PM7/17 दिनांक 14-06-2011 (PCPO/BSP के स्थापना नियम संख्या 96/2011) ।
As on the date of notification, the volunteering staff should be below the age of 47 years in the case of General candidates and the upper age limit for SC/ST employees would be 52 years in terms of Railway Board's Letter No. E(NG)1999/PM7/17 dated 14-06-2011 (PCPO/BSP's Estt. Rule No. 96/2011).

e. आरबीई संख्या के संदर्भ में 117/2006 (स्थापना नियम संख्या 190/2006), कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख अधिसूचना जारी करने की तारीख होनी चाहिए। अत: आवेदित कर्मचारियों को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख यानी **01.06.2024** को उम्र और शैक्षिक योग्यता, सेवा शर्तों को पूर्ण करना होगा ।
In terms of RBE no. 117/2006 (Estt Rule No. 190/2006), the cut-off date for determining the eligibility of staff should be the date of issue of notification. As such the volunteering employees should fulfill the service conditions of age and educational qualification and other service conditions as on the date of issue of this notification i.e. as on **01.06.2024.**

Note: उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने इस मंडल में अंतर रेलवे स्थानांतरण / अंतर मंडलीय स्थानांतरण पर निचली वरियता पर रिपोर्ट किया है / शामिल हुए हैं, पुरानी इकाई में की गई सेवा को नई इकाई में पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा के उद्देश्य से गिना जाएगा, बशर्ते: In respect of employees who have reported/joined on this division on Inter Railway request transfer/Inter Divisional request transfer on bottom seniority, the service rendered in the old unit will count for the purpose of qualification service for promotion in the new seniority unit provided:

a. मौजूदा नियमों के अनुसार वह ग्रुप 'सी' पद पर चयन के लिए विचार किए जाने के योग्य है/होती है; तथा He/She is otherwise eligible to be considered for the selection to Group 'C' post as per extant rules; and
b. जिस श्रेणी में वह पुरानी इकाई में कार्यरत था, वह नई इकाई में भी चयन/पद के लिए पात्र श्रेणी है The category in which he/she was working in the old unit is an eligible category for the selection/post in the new unit also.

2. पाठ्यक्रम SYLLABUS:

संभावित पाठ्यक्रम कुछ समय पश्चात जारी किया जायगा The tentative syllabus will be issued shortly.

3. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया, PROCEDURE FOR WRITTEN EXAMINATION:

a. प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा । The question paper will be 100% objective Type.
b. सभी प्रश्न केवल बहुविकल्पीय होंगे । All the questions will be of multiple choice only.
c. गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से एक तिहाई अंक गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे There shall be negative marking for incorrect Answers. One third of the marks allotted for each question will be deducted for wrong answers.
d. कुल 110 प्रश्न होंगे जिनमे से किसी भी 100 प्रश्नो का उत्तर देना है, 10 प्रश्न (वैकल्पिक) राजभाषा पर होगा । There will be a total of 110 questions, out of which any 100 questions have to be answered, 10 questions (optional) will be on the official language.
e. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं समान अंकों के होंगे। All questions will be multiple choice and of equal marks.
f. वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नो के साथ 90- 120 मिनट की होगी । The duration of examination under objective type multiple choice will be 90- 120 Minutes.
g. सभी प्रश्न द्विभाषी होंगे। All questions will be bilingual.
h. परीक्षा CBT पद्धती से होगी, जिसके संबंध में सूचना बाद में प्रदान की जाएगी । The examination will be conducted by CBT method, information regarding which will be provided later.

(Authority RBE No.196/2018)

Continue page-3

4. चयन का तरीका और अर्हक अंक, **MODE OF SELECTION AND QUALIFING MARKS.**

a. व्यावसायिक योग्यता: - चयन के क्षेत्र में कर्मचारियों की व्यावसायिक क्षमता का आकलन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कर्मचारियों को पेशेवर क्षमता के साथ-साथ कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । Professional Ability: - The professional ability of the employees in the field of selection will be adjudged through written test only. The employees must secure 60% of marks in professional ability as well as in the aggregate.

b. कनिष्ठ अभियंता का पद सुरक्षा पद होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं होगी। उन्हें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक और अनारक्षित कर्मचारियों के बराबर कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना होगा । The post of Junior Engineer being a safety one, there will be no relaxation in qualifying marks for candidates belonging to SC/ST community. They have to obtain minimum of 60% in written test & 60% in aggregate on par with UR employees.

Factors /heading	Maximum marks	Qualifying Marks
Professional ability	50	60%
Record of services	30	-
Total	80	60%

c. सेवा अभिलेखों के अंतर्गत अंको का वितरण. Distribution of marks under of head of record of services.

30 marks	1. विगत तीन वर्ष के APARs के आधार पर on the basis of grading of APARs of last three years 2. सेवा पुस्तिका मं दर्ज पुरस्कार / दंड के आधार पर on the basis of entries of award/punishment in the SR.	प्रत्येक प्रकरण में किसी भी स्थिति मे अधिकतम 30 अंक होगी, In any case the total marks under this head should not exceed 30 marks

d. "व्यावसायिक क्षमता" और "सेवा के रिकॉर्ड" के कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में अंतिम पैनल तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्मचारियों को पैनल पर रखे जाने के लिए "व्यावसायिक क्षमता" में न्यूनतम 60% अंक और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। उम्मीदवारों का 'उत्कृष्ट' के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं होगा | पैनल पीसीपीओ/बीएसपी के पत्र संख्या पी-एचक्यू/एनजीसी /519/ई-53295/1434 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार समग्र योग्यता के आधार पर तैयार किया जाना है। The final panel should be drawn up in the order of merit based on aggregate marks of "Professional ability" and "Record of Service". However, the employees must secure a minimum of 60% marks in "Professional ability" and 60% marks in aggregate, for being placed on the panel. There will be no classification of candidates as 'Outstanding'. The final panel will also be subject to their being fit in medical classification of A – 3 (Aye – Three) in terms of PCPO/SECR letter No. P-HQ/NGC/519/E-53295/1434 dated 18.01.2022.

5. परीक्षा तिथि DATE OF EXAMINATION & VENUE:

परीक्षा की तिथि, स्थान और समय की सूचना अलग से दी जाएगी। हालांकि, आवेदित कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वालों के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि चयन विकल्प आमंत्रित कर किया जाता है । The date, venue and time of examination will be intimated separately. However, it is to be advised to the volunteering staff that there will be no supplementary examination to the absentees in the examination, since the selection is by calling volunteers.

6. चयनपूर्व प्रशिक्षण, PRE-SELECTION COACHING:

a. प्रशिक्षण की अवधि समान रूप से 3 सप्ताह निर्धारित की गई है।The period of training is fixed uniformly for 3 weeks.

b. अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए उनकी इच्छा/अनिच्छा जानने की कोई आवश्यकता नहीं हैThe training is mandatory for all ST candidates. There is no need to obtain their willingness/unwillingness for such training.

Continue page-4

c. चयन में विचाराधीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पात्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को बिना असफल हुए पूर्णकालिक आधार पर इस तरह के प्रशिक्षण हेतु भारमुक्त किया जाए। प्रशिक्षण में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक उक्त की पुष्टि के लिए कार्मिक शाखा को भेजा जाना चाहिए । The eligible ST candidates coming under zone of consideration in the selection will be spared for such training on full me basis without failed. The attendance sheet of ST candidates in the training should be sent to Personnel Branch for confirmation of above.

7. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

इच्छुक और पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रोफार्मा में अपने आवेदन अपने नियंत्रक पर्यवेक्षकों को **01.07.2024** को या उससे पहले जमा करने होंगे जो **2.07.2024** को या उससे पहले नियंत्रण अधिकारी भेज देंगे। नियंत्रण अधिकारी को **04.07.2024** को सभी आवेदनों को एक समूह में इस कार्यालय को अग्रेषित करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया जाएगा।

The willing and eligible volunteers have to submit their applications in prescribed Proforma to their controlling supervisors on or before **01.07.2024** who will forward the applications in one bunch to the controlling officers on or before **02.07.2024.** The controlling officer has to forward all the applications in one bunch to this office before **04.07.2024**. Applications received after the last date will summarily be rejected without assigning any reason.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदन में सभी प्रासंगिक कॉलम पूरी तरह से भरे जाने चाहिए और "एनए" के रूप में इंगित करने वाले अनुपयुक्त कॉलम को काट देना चाहिए जैसा की आवेदन में निर्दिष्ट किया गया है । अग्रेषित आवेदन नियंत्रित करने वाले पर्यवेक्षकों / अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए ।

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए एवं संबंधित नियंत्रक पर्यवेक्षकों / अधिकारियों द्वारा भी उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

It may be noted that all the relevant colums in the application should be filled completely & strike out the inapplicable columns indicating as "NA" and forward duly verified & certified by the controlling supervisors/officers wherever specified in the application or otherwise same will not be considered.

The applications received beyond the last date should not be entertained and invariably by the controlling supervisors/officers and same will not be considered

8. कर्मचारियों को सूचित करना, NOTIFYING TO THE STAFF:

रायपुर मंडल के विद्युत/कर्षण वितरण विभाग के पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। अधिसूचना की एक प्रति एक प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/बीमार हैं उन्हें भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर अपने आवेदन जमा कर सकें। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। आगे यह भी सलाह दी जाती है कि चयन के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी तरह की जानकारी कीसी भी संचार माध्यम से सभी पात्र कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा ।

Wide publicity should be given to this notification amongst the eligible staff of Electrical/ TRD department of Raipur Division. A copy of notification should be displayed on a notice board at a conspicuous place. Staff who is on deputation/leave/sick should also be notified to enable them to submit their applications in time. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect. It is further advised that any other communication received in respect of the selection should invariably be intimated to all the eligible employees. Any laxity in this regard will be viewed seriously.

9. आवेदन कैसे करें, How to apply:

a. कर्मचारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप(संलग्न ब) में पूर्ण रूप से भरकर उचित माध्यम से इस कार्यालय में जमा करेंगे| Employees will fill their application completely in the prescribed format (Annexure B) and submit it to this office through proper channel.

Continue page-5

b. कर्मचारी को आवेदन काले या नीले बाल पेन के द्वारा अपने हाथों से ही भरना चाहिए| The employee should fill the application with his own hands using black or blue ball pen.

c. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आवेदन के सभी कालम पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिए एवं लागू नहीं होने वाले कालम को कांट दे तथा आवश्यक रूप से "NA" लिखा जाना चाहिए| आवेदन में भरे गये सभी कालम आवश्यक जांच के उपरांत सत्यापित एवं अग्रेषित किये जाने चाहिए| It is important to note that all the columns of the application should be filled completely and the columns which are not applicable should be crossed out and "NA" should necessarily be written. All the columns filled in the application should be verified and forwarded after necessary verification.

10. <u>सामान्य जानकारियां GENERAL INFORMATION:</u>

a उपरोक्त लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे उचित पहचान पत्र के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों। To attend the above written exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.

b. युनिट प्रभारी को सलाह दी जाती है कि उचित पहचान पत्र के साथ समय पर कर्मचारी भारमुक्त करें। Unit in-charge is advised to release the staff in time with proper identification memo.

c. यदि उम्मीदवार द्वारा किसी अनुचित साधन का उपयोग करता हुआ पकडा जाता है, तो उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है एवं उन्हें डीएआर के तहत भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। If use any unfair means is noticed from the candidate, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.

d. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, तो चयन के किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। If any discrepancy is found at any stage in regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information.

e. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन से पहले अपने ई-एसआर/फिजिकल एसआर में पुरस्कार/दंड की प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए सूचित किया जाता है। जिसके बाद पुरस्कार/दंड जोड़ने संबंधी उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा
The candidates re informed to get the entry of Award/Punishment in their E-SR/Physical SR before publication of result of written examination. After which their claim regarding adding of Award/Punishment will not be considered.

f. किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।
<u>In case of any dispute, the English version shall be applicable</u>.

संलग्न / Encl: यथोक्त As above.

Digitally Signed by Susheel Lakra सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी
Date: 25-06-2024 18:04:18
Reason: Approved

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:
Copy forwarded for information and necessary action to:

i) SR. DEE/TRD/R for information and wide publicity to among their staff
ii) DC/SECRMC/R, DS/AI SC ST REA/R, DS/OBCEA/R
iii) Sectional Ch Staff & Welfare Inspector.

कृते, वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

Annexture-B

APPLICATION FOR SELECTION TO THE PSOT OF JE (Electrical/TRD) IN PML – 6 AGAINST 25% IMAQ OF ELECTRICAL/TRD DEPARTMENT OF RAIPUR DIVISION.

1.	Name of the Employee's	:	
2.	PF / EMP No	:	
3.	Designation / Unit	:	
4.	Date of Birth (In Christian era)	:	
5.	Age as on 01.08.2023	:	……..Year ……Months……Days
6.	Community (UR/OBC/SC/ST)	:	
7.	Date of Initial Appointment / Station / Deptt./Divn./ Railway	:	
	a. As Helper/Technician Gr. – III	:	
	b. Dt. Of promotion as Tech. Gr. - III	:	
	c. Dt. Of regularization as Tech. Gr. - III	:	
8.	Total length of service in Technician Gr. – III & above.	:	
9.	Educational / Technical Qualification {12TH (Science Stream) / ITI/DIPLOMA} (Copy of certificate to be enclosed)	:	
10.	Award conferred during the last three years (Railway Week)	:	
	a. Divisional level (DRM Level)	:	
	b. Headquarter level (PHOD/HOD)	:	
	c. GM/Rly. Boards level	:	
11	Penalties imposed during the last three years.	:	
12.	Any other relevant information	:	

Declaration: *I hereby declare that the particulars furnished are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that, if at any stage it is found that the information furnished is false or incorrect or I do not satisfy / fulfill the eligibility criteria, my candidature / appointment on promotion is liable to be cancelled besides disciplinary action as per rules. I have read the content of the notification and agree to abide by the Rules, regulation and procedure prescribed for promotion to the post of Junior Engineer.*

Signature of Employee:

Date:

Name:

Design:

Date:
Station:

Signature of the controlling officer
Name:
Design: